2019/00470

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या **314**/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

ए यू स्माल फाईनेन्स बैंक लि॰, रजिस्टर्ड आफिस 19–ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर ।

प्रार्थी बैंक

बनाम

1. जगदीश शर्मा पुत्र श्री मूलचन्द शर्मा
2. श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री जगदीश शर्मा
3. राम कल्याण पुत्र श्री मूलचन्द शर्मा
1. कैलाश चन्द शर्मा पुत्र श्री मूलचन्द शर्मा
2. रामजीलाल शर्मा पुत्र श्री मूलचन्द शर्मा

पता निवासी–ग्राम हीरावाला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थितः–

1.श्री रवि कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से ।

2.श्री जीतेन्द्र पारीक अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से ।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

आदेश दिनांक 7.11.2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 08.06.2016 को पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थीगण जगदीश, कल्याण, कैलाश एवं रांमजी लाल के स्वामित्व की सम्पत्ति ग्राम हीरावाला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर 325.25 वर्गगज को बन्धक रख कर 14,50,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 18.06.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

2. प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायहित में ऋणी को सूचना पत्र रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी ऋणी की ओर से श्री जीतेन्द्र पारीक अधिवक्ता उपस्थित हुये।
3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अप्रार्थीगण ऋणी की सुनवाई किये जाने की अधिकारित इस न्यायालय को नहीं है। प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 18.06.2018 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके अतिरिक्त दो समाचार पत्र कमशः इण्डियन एक्सप्रेस एवं दैनिक नवज्योति में दिनांक 06.07.2018 को धारा 13(2) का नोटिस प्रकाशित कराया गया है। इसके बावजूद ऋणी द्वारा बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराई गई है। नोटिस प्रकाशित समाचार पत्रों की फोटोप्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी वित्तीय बैंक के पक्ष में अप्रार्थी अप्रार्थीगण जगदीश, कल्याण, कैलाश एवं रामजी लाल के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति ग्राम हीरावाला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर 325.25 वर्गगज का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
5. आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय बैक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।
6. आदेश आज दिनांक 7-11-2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

(जगरूप सिंह यादव)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर